

128/क-2/2007- श्री श्री शक्ति लक्ष्मी पालिका श्रेष्ठ ३५
उद्दिष्टिमागीर उद्दिष्टिमागीर लक्ष्मी ३५
न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला मोपाल श्री श्री शक्ति

श्रीमत्सु शीतल देवी पत्नि रमेश कुमार
निवास्सी 13 सी जतिन बागची रोड
कलकत्ता

128 37-2/08-09

...आवेदिका

৭৬

मध्यप्रदेश शासन

...अनावेदक

(अन्तर्गत मध्यप्रदेश भूराश्रित)

७ व 172

आदेश

(पारित दिनांक 26/9/09)

आवेदिका श्रीमती शीतल देवी पत्नि रमेश कुमार निवासी 13 सी जतिन बागची रोड कलकत्ता भोपाल ने अपने स्वत्व की भूमि स्थित ग्राम नरेला हनुमंत तहसील हुजूर जिला भोपाल के खसरा नंबर 216/1, 216/2, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, रकबा क्रमशः 0.40, 0.42, 0.14, 0.14, 0.14, 0.40, 0.40, 0.22, 0.20, कुल रकबा 2.46 हे० भूमि का आवासीय प्रयोजन हेतु व्यापवर्तन बाबत आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

- 2- आवेदक ने प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।
- 2.1 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की छायाप्रति।
- 2.2 खसरा व अकस की प्रतियां।
- 2.3 ऋण पुस्तिका की छायाप्रति।
- 2.4 शपथ पत्र।

- 3- उपरोक्त दस्तावेजों तथा रा0नि0. द्वारा प्रस्तुत स्वतः स्थल जाय प्रातिवेदन का अवलोकन किया जिसके अनुसार निम्नांकित स्थिति बनती है।

- अ. प्रश्नाधीन भूमि आवेदकगण के भूमिस्वामी स्वत्व पर चालू वर्ष में राजस्व अभिलेख में दर्ज होना पाया जाता है।
- ब. नगर एवं ग्राम निवेश द्वारा जारी पत्र क्रमांक 1605/भू.उ./नग्ननि/2265(1)/जिला/07 भोपाल दिनांक 26/4/08 में प्रश्नाधीन भूमि नगर निवेश क्षेत्र से बाहर होना दर्शाया गया है।
- स. अधीक्षक भू-अभि(डायवर्सन) द्वारा अपने प्रतिवेदन में प्रश्नाधीन भूमि आवासीय उपयोग हेतु व्यापवर्तन की अनुशंसा की गई है।

7809

सिद्द 845110
8-2-10

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला भोपाल
विशेष
रमेश कुमार भावनानी

प्र0क0 7/बी-121/09-10

आवेदक

देश शासन

विरुद्ध

रमेश कुमार भावनानी आ0 स्व0 श्री लक्ष्मणदास भावनानी
निवासी 13 सी -बागची रोड कोलकत्ता

अनावेदक

आदेश

(पारित दिनांक 28/2/2010)

आवेदक रमेश कुमार भावनानी आ0 स्व0 श्री लक्ष्मणदास भावनानी निवासी 13 सी -बागची रोड कोलकत्ता ने अपने स्वत्व की ग्राम रतनपुर सड़क स्थित भूमि 1051, 1052, 1053/1, 1053/2, 1059/1, 1059/2, 1062, 1063, 1064, 1065, 1070, 1071, 1073, 1074, 1075, 1086, 1058/2, 1060 कुल रकबा 5.84 हे0 का आवासीय व्यपवर्तन करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। आवेदन पत्र होने पर प्रकरण क0 130/अ-2/08-09 पंजीबद्ध किया गया तथा अधीक्षक भू-अभिलेख डायवर्सन एवं संबंधित हल्का पटवारी के प्रतिवेदन के आधार पर दिनांक 26/08/09 के द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर आवासीय उपयोग हेतु व्यपवर्तन स्वीकृत किया गया।

2- प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनुजा विलेज कालोनी के कुछ रहवासियों द्वारा कालोनी के विकास कार्य न किये जाने हेतु इस कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। आवेदन पत्र की जांच करने पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि पूर्व में तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर के द्वारा उप पंजीयक भोपाल को पत्र क्रमांक 879/अविअ/सी-3/06 भोपाल दिनांक 9/11/06 के द्वारा प्रश्नाधीन खसरा नंबर 1060 रकबा 0.70 हे0 भूमि के कय विक्रय पर रोक लगाई थी। उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त खसरा नंबर 1060 रकबा 0.70 हे0 को उक्त व्यपवर्तन आदेश से विलोपित किये जाने हेतु म0प्र0भू0रा0संहिता 1959 की धारा 51 के तहत अपर कलेक्टर महोदय से पुनर्विलोकन की अनुमति हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया। अपर कलेक्टर महोदय के आदेश क्र0 27/01/10 द्वारा प्रकरण क्रमांक 130/अ-2/08-09 के पुनर्विलोकन हेतु अनुमति प्रदान की गई।

3- तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर के द्वारा प्रश्नाधीन खसरा नंबर 1060 रकबा 0.70 हे0 भूमि के कय विक्रय पर रोक लगाई थी जो इस कार्यालय के राजस्व प्रकरण क्र0 130/अ-2/08-09 में पारित आदेश दिनांक 26/08/09 के द्वारा स्वीकृत किये गये व्यपवर्तित आदेश में शामिल खसरा नंबर है।

4- अतः अपर कलेक्टर महोदय द्वारा पुनर्विलोकन की अनुमति के आधार पर प्रश्नाधीन खसरा क्रमांक 1051, 1052, 1053/1, 1053/2, 1059/1, 1059/2, 1062, 1063, 1064, 1065, 1070, 1071, 1073, 1074, 1075, 1086, 1058/2, 1060 कुल रकबा 5.84 हे0 में से खसरा नंबर 1060 रकबा 0.70 हे0 पर स्वीकृत किये गये व्यपवर्तन को निरस्त किया जाता है। शेष आदेश यथावत रहेगा। समस्त हितबद्ध पक्षकारों को सूचित किया जावे।

आदेश आज उद्घोषित एवं पारित।

अनुविभागीय अधिकारी
तहसील हुजूर भोपाल

सत्य प्रतिज्ञा

8-2-10

[illegible]

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (तहसील)

பின் சிவந்த

प्र० क्र० १२१/०९-१०

पञ्च-तन्त्र-माला

आवेदकः

मध्यप्रदेश शासन

निबन्ध

रीडिंग चालवा आ. रामबाबू चावला
निवासी एस-1 म.न. 44 मानस होम्स
ऑल्ट अशोका गार्डन भोपाल
2- पिनन चावला आ. राममल चावला
निवासी जी-2 संत्या टावर न. 14 वी
पंजीई बाग भोपाल

अज्ञावेदक

(पारित दिनांक २३/२/२०१०)

आवेदक रोशन चालवा आ0 रामबाबू चावला निवासी एस-1 प.न. 44 मानस होम्स ऑल्ट अशोक गार्डन, भोपाल 2- पिनन चावला आ: रामचंद चावला निवासी जी-2 सत्या नगर न. 14 वी पंजीवी बाग भोपाल अपने स्वत्व की ग्राम रतनपुर सड़क स्थित भूमि 0.35/2 कुज रुकवा 0.112 हे० का आवासीय व्यपवर्तन कराये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था । आवेदन पत्र होने पर प्रकरण क० 132/अ-2/08-09 पंजीबद्ध किया गया तथा आवेदक भू अभिलेख डायवर्सन एवं संबंधित हल्का पटवारी के प्रतिवेदन के आधार पर दिनांक 08/09 के द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर आवासीय उपयोग हेतु व्यपवर्तन स्वीकृत किया गया।

2- प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनुजा विलेज कालोनी के कुछ रहवासियों द्वारा कालोनी के विकास कार्य न किये जाने हेतु इस कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। आवेदन पत्र की जांच करने पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि पूर्व में तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर के द्वारा उप पंजीयक भोपाल को पत्र क्रमांक 879/अविअ/री-3/08 भोपाल दिनांक 9/11/06 के द्वारा प्रस्तावीन खसरा नंबर 1055 का 3.60 हे० भूमि के कार्य-विक्रय पर रोक लगाई थी। उपर्युक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त व्यपवर्तन आदेश से को निरस्त किये जाने हेतु मप्रभू०रा०संहिता 1959 की धारा 51 के तहत अपर कलेक्टर महोदय से पुनर्विलोकन की अनुमति हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया। अपर कलेक्टर महोदय के आदेश दिनांक 27/01/10 द्वारा प्रकरण क्रमांक 130/अ-2/08-09 के पुनर्विलोकन की अनुमति प्रदान की गई।

तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर के द्वारा प्रस्तावित खसरा नंबर 1055 का 3.50 हे० भूमि के कय विकय पर रोक लगाई थी जो इस कार्यालय के राजस्व प्रकरण क्र० 130/अ-2/08-09 में पारित आदेश दिनांक 26/08/09 के द्वारा स्वीकृत किये गये व्यपवर्तित आदेश में शामिल खसरा नंबर है ।

4- अतः अपर कलेक्टर महोदय द्वारा पुनर्विलोकन की अनुमति के आधार पर प्रश्नाधीन खसरा क्रमांक 1055/2 कुल रकबा 0.112 हे० पर स्वीकृत किये गये व्यपवर्तन को निरस्त किया जाता है। समस्त हितबद्ध पक्षकारों को सूचित किया जावे।

आदेश आज उद्घोषित एवं पारित ।

अनुविभागीय अधिकारी
तहसील हुजूर भोपाल

4- अतः म0प्र0भू0रा0संहिता 1959 की धारा 172(1) एवं इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अन्तर्गत आवेदकगण की ग्राम रतनपुर सड़क तहसील हुजूर भोपाल स्थित भूमि खसरा नंबर 1054/2, 1081 रकता कंमथः 0.80 एवं 0.71 हे० कुल 1.51 हे० (संलग्न अक्स में दर्शित प्रस्तावित लेआउट) अनुसार जो आदेश का भाग होगी) आवासीय उपयोग के लिये प्रश्नाधीन भूमि पर पुनः निर्धारण रु. 34118/- तथा पंचायत उपकर 17059/- वर्ष 08-09 से लगातार देय निर्धारित किया जाता है एवं नगर निवेश क्षेत्र से बाहर स्थित होने प्रीमियम रु. 1,13,243/- एक मुश्त अधिरोपित किया जाता है । तथा निम्नलिखित समस्त शर्तों के साथ आवासीय, प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन स्वीकृत किया जाता है:-

- 5.1 प्रश्नाधीन भूमि का अभिन्यास विकास/निर्माण कार्य करने के पूर्व नगर तथा ग्राम निवेश से अनुमोदित कराना अनिवार्य होगा, एवं आवासीय निम्न घनत्व एवं वृक्षारोपण भूमि उपयोग अनुसार निर्माण के पूर्व यह स्पष्ट कराना होगा कि प्रश्नाधीन भूमि में से कितनी भूमि आवासीय भूमि उपयोग की है, एवं कितनी भूमि वृक्षारोपण की है। यदि वृक्षारोपण भूमि उपयोग की सम्मिलित होगी तो तदनुसार उस भूमि पर वृक्षारोपण कराना अनिवार्य होगा।
- 5.2 प्रश्नाधीन भूमि का विकास कार्य करने से पूर्व संबंधित सभी विभागों से आवश्यक अनुमतियाँ लेनी होंगी। अनुमोदित अभिन्यास के अनुसार मार्ग/खुली/वृक्षारोपण/निम्न घनत्व आदि के लिये स्थल पर रिक्त भूमि छोड़नी होगी। अनुमोदित अभिन्यास के साथ उल्लेखित शर्तों के पालन करना अनिवार्य होगा।
- 5.3 प्रश्नाधीन भूमि में अनुमोदित अभिन्यास से अधिक भूमि पर निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।
- 5.4 रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम लागू किया जायेगा।
- 5.5 स्थल पर विकास/निर्माण करते समय सार्वजनिक स्वास्थ्य, लोक न्यूसेंस, बस्ती व आसपास के रहवासियों की सुविधा एवं सुरक्षा सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।
- 5.6 भू-अर्जन की स्थिति में कृषि दर से मुआवजा लेना होगा।
- 5.7 निर्माण कार्य तीन वर्ष के अन्दर करना अनिवार्य होगा।
- 5.8 निर्धारित रकथा में वृक्षारोपण करना होगा।
- 5.9 रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करना होगी।
- 5.10 पुनः निर्धारण राशि आवेदक द्वारा समय से कोषालय में जमा कराना अनिवार्य होगा। एवं प्रीमियम राशि एक मुश्त कोषालय में जमा कराना अनिवार्य होगा।

उपरोक्त उल्लेखित किसी भी शर्त का उल्लंघन करने भूअर्जन होने या किसी प्रकार के स्वत्व विवाद की स्थिति में व्यपवर्तन संबंधी आदेश स्वमेव निरस्त माना जावे।

संबंधित पटवारी तदनुसार राजस्व अभिलेख में मांग कायम करें।

24/8/23
निर्देशाधीन अधिकारी
हुजूर भोपाल
वृक्षारोपण

12/2/09
47-26/09
26-8-09

129/अ-2/08-09
न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला भोपाल

प्र0क0 129/अ-2/08-09

1. रोशन चावला आ. स्व0 राममल चावला
निवासी एस-1 म.न. 44 मानस होम्स
ओल्ड अशोका गार्डन भोपाल
2. रमेश कुमार आ. स्व लक्ष्मणदास
निवासी 13 सी जतिन बागची रोड
कलकत्ता हाल निवासी भोपाल

आवेदकगण

विरुद्ध

मध्यप्रदेश शासन

अनावेदक

(अन्तर्गत मध्यप्रदेश भूगोलीय संहिता 1959 की धारा 59 व 172)

आदेश

(पारित दिनांक 26/8/09)

आवेदक रोशन चावला आ. स्व0 राममल चावला निवासी एस-1 म.न. 44 मानस होम्स ओल्ड अशोका गार्डन भोपाल एवं रमेश कुमार आ. स्व लक्ष्मणदास निवासी 13 सी जतिन बागची रोड कलकत्ता हाल निवासी भोपाल ने अपने स्वत्व की भूमि स्थित ग्राम नरेला, हनुमंत तहसील हुजूर, जिला भोपाल के खसरा नंबर 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, रकबा क्रमशः 0.820, 0.140, 0.130, 0.130, 0.140, 0.140, 0.140, हे0 कुल रकबा 1.64 हे0 भूमि का आवासीय प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन बावत् आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

- 2- आवेदक ने प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।
 - 2.1 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की छायाप्रति।
 - 2.2 खसरा व अकस की प्रतियां।
 - 2.3 ऋण पुस्तिका की छायाप्रति।
 - 2.4 शपथ पत्र।

3- उपरोक्त दस्तावेजों तथा रा0नि0 द्वारा प्रस्तुत स्वत्व स्थल जांच प्रतिवेदन का अवलोकन किया जिसके अनुसार निम्नांकित स्थिति मिलती है।

अ. प्रश्नाधीन भूमि आवेदकगण के भूमिस्वामी स्वत्व पर चालू वर्ष में राजस्व अभिलेख में दर्ज होना पाया जाता है।

ब. नगर एवं ग्राम निवेश द्वारा जारी पत्र क्रमांक 1605/मू.उ. /नग्रनि/2285(1)/जिला/07 भोपाल दिनांक 26/4/08 में प्रश्नाधीन भूमि नगर निवेश क्षेत्र से बाहर होना दर्शाया गया है।

स. अधीक्षक भू-अभिलेखवर्सन द्वारा अपने प्रतिवेदन में प्रश्नाधीन भूमि आवासीय उपयोग हेतु व्यपवर्तन की अनुशंसा की गई है।

4- अतः म०प्र०भू०रा०संहिता 1959 की धारा 172(1) एवं इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अन्तर्गत आवेदकगण की ग्राम नरेशों हनुमंत तंडरील हुजूर भोगाल स्थित भूमि खसरा नंबर 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, रकबा क्रमशः 0.820, 0.140, 0.130, 0.130, 0.140, 0.140, 0.140, हे० कुल रकबा 1.84 हे० (सलग्न अक्स में दर्शित प्रस्तावित लेआउट अनुसार जो आदेश का भाग होगा) आवासीय उपयोग के लिये प्रश्नाधीन भूमि पर पुनः निर्धारण रू० 37055/- तथा पंचायत उपकर 18528/- वर्ष 08-09 से लगातार देय निर्धारित किया जाता है एवं नगर निवेश क्षेत्र से बाहर स्थित होने पर प्रीमियम रू० 1,22,993/- एक मुश्त अधिरोपित किया जाता है। तथा निम्नलिखित समस्त शर्तों के साथ आवासीय प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन स्वीकृत किया जाता है:-

- 5.1 प्रश्नाधीन भूमि का अभिन्यास विकास/निर्माण कार्य करने के पूर्व नगर तथा ग्राम निवेश से अनुमोदित कराना अनिवार्य होगा, एवं आवासीय निम्न घनत्व एवं वृक्षारोपण भूमि उपयोग अनुसार निर्माण के पूर्व यद् स्पष्ट कराना होगा कि प्रश्नाधीन भूमि में से कितनी भूमि आवासीय भूमि उपयोग की है, एवं कितनी भूमि वृक्षारोपण की है। यदि वृक्षारोपण भूमि उपयोग की सम्मिलित होगी तो तदनुसार उस भूमि पर वृक्षारोपण कराना अनिवार्य होगा।
- 5.2 प्रश्नाधीन भूमि का विकास कार्य करने से पूर्व संबंधित सभी विभागों से आवश्यक अनुमतियाँ लेनी होगी। अनुमोदित अभिन्यास के अनुसार मार्ग/खुली/वृक्षारोपण अभिन्यास के साथ उल्लेखित शर्तों के पालन करना अनिवार्य होगा।
- 5.3 प्रश्नाधीन भूमि में अनुमोदित अभिन्यास से अधिक भूमि पर निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।
- 5.4 रेन वाटर-डारवेस्टिंग का सिस्टम लागू किया जायेगा।
- 5.5 स्थल पर विकास/निर्माण करते समय सार्वजनिक स्वास्थ्य, लोक न्यूसेंस, बस्ती व आसपास के रहवासियों की सुविधा एवं सुरक्षा सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।
- 5.6 भू-अर्जन की स्थिति में कृषि दर से मुआवजा लेना होगा।
- 5.7 निर्माण कार्य तीन वर्ष के अन्दर करना अनिवार्य होगा।
- 5.8 निर्धारित संख्या में वृक्षारोपण करना होगा।
- 5.9 रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करना होगी।
- 5.10 पुनः निर्धारण राशि आवेदक द्वारा समय से कोषालय में जमा कराना अनिवार्य होगा। एवं प्रीमियम राशि एक मुश्त कोषालय में जमा कराना अनिवार्य होगा।

उपरोक्त उल्लेखित किसी भी शर्त का उल्लंघन करने भूअर्जन होने या किसी प्रकार के स्वत्व विवाद की स्थिति में व्यपवर्तन संबंधी आदेश स्वमेव निरस्त माना जावे।

संबंधित पटवारी तदनुसार राजस्व अभिलेख में मांग कायम करें।

28/8/09
जनविमर्शीय अधिकारी
नगर निवेश क्षेत्र
हुजूर भोगाल

28/8/09

28/8/09

147-28/09

13/अ-2/08-09

126-8-09

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला भोपाल

मि. ड. शाह

प्र0क0 131/अ-2/08-09

1. पिन्नन चावला आ. राममूल चावला
निवासी जी.2 सत्या टावर न. 14 नौ
पंजाबी बाग भोपाल
2. दर्शन चावला स्व0 श्री राममूल चावला
निवासी एस-2 आयुष टावर प्लॉट बंर 42
गोविंद गार्डन भोपाल

आवेदकगण

विरुद्ध

मध्यप्रदेश शासन

अनावेदक

(अन्तर्गत मध्यप्रदेश भू0रा0संहिता 1959 की धारा 59 व 172)

आदेश

(पारित दिनांक 26/8/07)

आवेदक पिन्नन चावला आ. राममूल चावला निवासी जी.2 सत्या टावर न. 14 नौ पंजाबी बाग भोपाल एवं दर्शन चावला आ0 स्व0 राममूल चावला निवासी एस-2 आयुष टावर प्लॉट नंबर 42 गोविंद गार्डन भोपाल ने अपने स्वत्व की भूमि स्थित ग्राम स्तनपुर सड़क तहसील हुजूर जिला भोपाल के खसरा नंबर 1054/2, 1081 रकबा कमशः 0.80 एवं 0.71 हे0 कुल 1.51 हे0 भूमि का आवासीय प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन बावत् आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

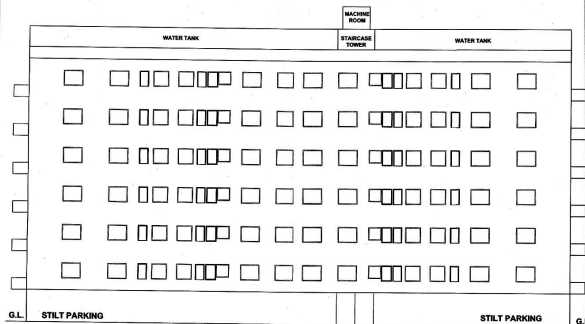
- 2- आवेदक ने प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।
 - 2.1 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की छायाप्रति।
 - 2.2 खसरा व अक्स की प्रतियां।
 - 2.3 ऋण पुस्तिका की छायाप्रति।
 - 2.4 सपथ पत्र।

3- उपरोक्त दस्तावेजों तथा रा0नि0 द्वारा प्रस्तुत स्वत्व स्थल जांच प्रतिवेदन का अवलोकन किया जिसके अनुसार निम्नांकित स्थिति बनती है।

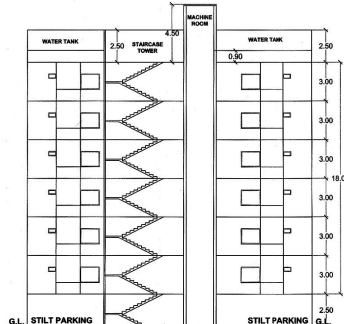
अ. प्रश्नाधीन भूमि आवेदकगण के भूमिस्वामी स्वत्व पर चालू वर्ष में राजस्व अभिलेख में दर्ज होना पाया जाता है।

ब. नगर एवं ग्राम निवेश द्वारा जारी पत्र क्रमांक 1505/मुज/नग्रनि/2265(1)/जिला/07 भोपाल दिनांक 26/4/08 में प्रश्नाधीन भूमि नगर निवेश क्षेत्र से बाहर होना दर्शाया गया है।

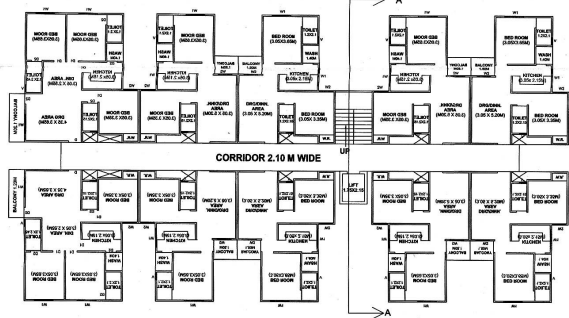
स. अधीक्षक भू-अभि(डायवर्सन) द्वारा अपने प्रतिवेदन में प्रश्नाधीन भूमि आवासीय उपयोग हेतु व्यपवर्तन की अनुमति दी गई है।



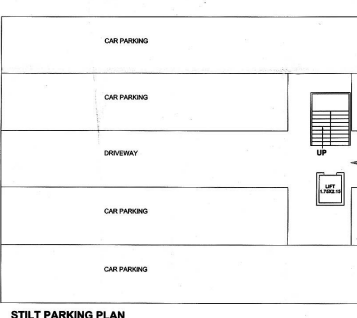
FRONT ELEVATION



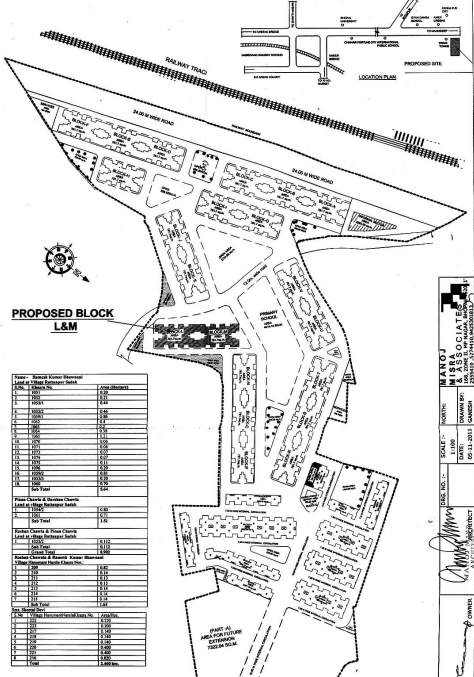
SECTION AA'



CORRIDOR 2.10 M WIDE



STILT PARKING PLAN



PROPOSED BLOCK L&M

STATEMENT OF AREA

A.	TOTAL LAND AREA	= 28.87 ACRE (11.362 HECT.)
B.	AREA UNDER FUTURE EXPANSION PART-A	= 7322.84 SQ.M.
B.	AREA UNDER FUTURE EXPANSION PART-B	= 10941.87 SQ.M.
B1.	AREA UNDER 24 M. WIDE ROAD	= 11138.35 SQ.M.
B2.	AREA UNDER ROAD WIDENING	= 534.82 SQ.M.
C.	NET PLOT AREA (A-B1-B2)	= 83782.92 SQ.M.
D.	AREA UNDER ADVERTISE (PRIMARY SCHOOL)	= 4514.75 SQ.M.
E.	REQUIRED AREA UNDER INFORMAL SECTOR (C-D-E)	= 78764.79 SQ.M.
F.	AREA FOR GROUP HOUSING (C-D-E)	= 376.54 SQ.M.
G.	AREA UNDER SERVICES	= 8411.80 SQ.M. (10.04% OF C)
H.	AREA UNDER OPEN	= 45258.87 SQ.M.
I.	AREA UNDER ROAD & CIRCULATION AREA	= 45258.87 SQ.M.

SCHEDULE OF PARKING

AS PER RULE 81 OF M.P.BHUM VIKAAS RULE 1984 APPENDIX L & LA

(B) 1 ECS 202 SQ.M. B.U.A.	
BUILT-UP AREA	7348.08 SQ.M.
PARKING REQUIRED	36.37 CARS
SAV	37 CARS
(B) 30 SQ.M. PER CAR UNDER STILT	
(B) 250 SQ.M. PER CAR IN OPEN	

STATEMENT OF BUILT-UP AREA (BLOCK-L&M)

1. BUILT-UP AREA ON FIRST FLOOR	= 612.34 SQ.M.
2. BUILT-UP AREA ON SECOND FLOOR	= 612.34 SQ.M.
3. BUILT-UP AREA ON THIRD FLOOR	= 612.34 SQ.M.
4. BUILT-UP AREA ON FOURTH FLOOR	= 612.34 SQ.M.
5. BUILT-UP AREA ON FIFTH FLOOR	= 612.34 SQ.M.
6. BUILT-UP AREA ON SIXTH FLOOR	= 612.34 SQ.M.
ONE BLOCK BUILT-UP AREA NOS OF BLOCKS (L&M)	3674.64 SQ.M.
	7348.08 SQ.M.



SITE PLAN

MANOJ K. SHARMA & ASSOCIATES
 ARCHITECTS
 10/11, 10/12, 10/13, 10/14, 10/15, 10/16, 10/17, 10/18, 10/19, 10/20, 10/21, 10/22, 10/23, 10/24, 10/25, 10/26, 10/27, 10/28, 10/29, 10/30, 10/31, 10/32, 10/33, 10/34, 10/35, 10/36, 10/37, 10/38, 10/39, 10/40, 10/41, 10/42, 10/43, 10/44, 10/45, 10/46, 10/47, 10/48, 10/49, 10/50, 10/51, 10/52, 10/53, 10/54, 10/55, 10/56, 10/57, 10/58, 10/59, 10/60, 10/61, 10/62, 10/63, 10/64, 10/65, 10/66, 10/67, 10/68, 10/69, 10/70, 10/71, 10/72, 10/73, 10/74, 10/75, 10/76, 10/77, 10/78, 10/79, 10/80, 10/81, 10/82, 10/83, 10/84, 10/85, 10/86, 10/87, 10/88, 10/89, 10/90, 10/91, 10/92, 10/93, 10/94, 10/95, 10/96, 10/97, 10/98, 10/99, 10/100, 10/101, 10/102, 10/103, 10/104, 10/105, 10/106, 10/107, 10/108, 10/109, 10/110, 10/111, 10/112, 10/113, 10/114, 10/115, 10/116, 10/117, 10/118, 10/119, 10/120, 10/121, 10/122, 10/123, 10/124, 10/125, 10/126, 10/127, 10/128, 10/129, 10/130, 10/131, 10/132, 10/133, 10/134, 10/135, 10/136, 10/137, 10/138, 10/139, 10/140, 10/141, 10/142, 10/143, 10/144, 10/145, 10/146, 10/147, 10/148, 10/149, 10/150, 10/151, 10/152, 10/153, 10/154, 10/155, 10/156, 10/157, 10/158, 10/159, 10/160, 10/161, 10/162, 10/163, 10/164, 10/165, 10/166, 10/167, 10/168, 10/169, 10/170, 10/171, 10/172, 10/173, 10/174, 10/175, 10/176, 10/177, 10/178, 10/179, 10/180, 10/181, 10/182, 10/183, 10/184, 10/185, 10/186, 10/187, 10/188, 10/189, 10/190, 10/191, 10/192, 10/193, 10/194, 10/195, 10/196, 10/197, 10/198, 10/199, 10/200, 10/201, 10/202, 10/203, 10/204, 10/205, 10/206, 10/207, 10/208, 10/209, 10/210, 10/211, 10/212, 10/213, 10/214, 10/215, 10/216, 10/217, 10/218, 10/219, 10/220, 10/221, 10/222, 10/223, 10/224, 10/225, 10/226, 10/227, 10/228, 10/229, 10/230, 10/231, 10/232, 10/233, 10/234, 10/235, 10/236, 10/237, 10/238, 10/239, 10/240, 10/241, 10/242, 10/243, 10/244, 10/245, 10/246, 10/247, 10/248, 10/249, 10/250, 10/251, 10/252, 10/253, 10/254, 10/255, 10/256, 10/257, 10/258, 10/259, 10/260, 10/261, 10/262, 10/263, 10/264, 10/265, 10/266, 10/267, 10/268, 10/269, 10/270, 10/271, 10/272, 10/273, 10/274, 10/275, 10/276, 10/277, 10/278, 10/279, 10/280, 10/281, 10/282, 10/283, 10/284, 10/285, 10/286, 10/287, 10/288, 10/289, 10/290, 10/291, 10/292, 10/293, 10/294, 10/295, 10/296, 10/297, 10/298, 10/299, 10/300, 10/301, 10/302, 10/303, 10/304, 10/305, 10/306, 10/307, 10/308, 10/309, 10/310, 10/311, 10/312, 10/313, 10/314, 10/315, 10/316, 10/317, 10/318, 10/319, 10/320, 10/321, 10/322, 10/323, 10/324, 10/325, 10/326, 10/327, 10/328, 10/329, 10/330, 10/331, 10/332, 10/333, 10/334, 10/335, 10/336, 10/337, 10/338, 10/339, 10/340, 10/341, 10/342, 10/343, 10/344, 10/345, 10/346, 10/347, 10/348, 10/349, 10/350, 10/351, 10/352, 10/353, 10/354, 10/355, 10/356, 10/357, 10/358, 10/359, 10/360, 10/361, 10/362, 10/363, 10/364, 10/365, 10/366, 10/367, 10/368, 10/369, 10/370, 10/371, 10/372, 10/373, 10/374, 10/375, 10/376, 10/377, 10/378, 10/379, 10/380, 10/381, 10/382, 10/383, 10/384, 10/385, 10/386, 10/387, 10/388, 10/389, 10/390, 10/391, 10/392, 10/393, 10/394, 10/395, 10/396, 10/397, 10/398, 10/399, 10/400, 10/401, 10/402, 10/403, 10/404, 10/405, 10/406, 10/407, 10/408, 10/409, 10/410, 10/411, 10/412, 10/413, 10/414, 10/415, 10/416, 10/417, 10/418, 10/419, 10/420, 10/421, 10/422, 10/423, 10/424, 10/425, 10/426, 10/427, 10/428, 10/429, 10/430, 10/431, 10/432, 10/433, 10/434, 10/435, 10/436, 10/437, 10/438, 10/439, 10/440, 10/441, 10/442, 10/443, 10/444, 10/445, 10/446, 10/447, 10/448, 10/449, 10/450, 10/451, 10/452, 10/453, 10/454, 10/455, 10/456, 10/457, 10/458, 10/459, 10/460, 10/461, 10/462, 10/463, 10/464, 10/465, 10/466, 10/467, 10/468, 10/469, 10/470, 10/471, 10/472, 10/473, 10/474, 10/475, 10/476, 10/477, 10/478, 10/479, 10/480, 10/481, 10/482, 10/483, 10/484, 10/485, 10/486, 10/487, 10/488, 10/489, 10/490, 10/491, 10/492, 10/493, 10/494, 10/495, 10/496, 10/497, 10/498, 10/499, 10/500, 10/501, 10/502, 10/503, 10/504, 10/505, 10/506, 10/507, 10/508, 10/509, 10/510, 10/511, 10/512, 10/513, 10/514, 10/515, 10/516, 10/517, 10/518, 10/519, 10/520, 10/521, 10/522, 10/523, 10/524, 10/525, 10/526, 10/527, 10/528, 10/529, 10/530, 10/531, 10/532, 10/533, 10/534, 10/535, 10/536, 10/537, 10/538, 10/539, 10/540, 10/541, 10/542, 10/543, 10/544, 10/545, 10/546, 10/547, 10/548, 10/549, 10/550, 10/551, 10/552, 10/553, 10/554, 10/555, 10/556, 10/557, 10/558, 10/559, 10/560, 10/561, 10/562, 10/563, 10/564, 10/565, 10/566, 10/567, 10/568, 10/569, 10/570, 10/571, 10/572, 10/573, 10/574, 10/575, 10/576, 10/577, 10/578, 10/579, 10/580, 10/581, 10/582, 10/583, 10/584, 10/585, 10/586, 10/587, 10/588, 10/589, 10/590, 10/591, 10/592, 10/593, 10/594, 10/595, 10/596, 10/597, 10/598, 10/599, 10/600, 10/601, 10/602, 10/603, 10/604, 10/605, 10/606, 10/607, 10/608, 10/609, 10/610, 10/611, 10/612, 10/613, 10/614, 10/615, 10/616, 10/617, 10/618, 10/619, 10/620, 10/621, 10/622, 10/623, 10/624, 10/625, 10/626, 10/627, 10/628, 10/629, 10/630, 10/631, 10/632, 10/633, 10/634, 10/635, 10/636, 10/637, 10/638, 10/639, 10/640, 10/641, 10/642, 10/643, 10/644, 10/645, 10/646, 10/647, 10/648, 10/649, 10/650, 10/651, 10/652, 10/653, 10/654, 10/655, 10/656, 10/657, 10/658, 10/659, 10/660, 10/661, 10/662, 10/663, 10/664, 10/665, 10/666, 10/667, 10/668, 10/669, 10/670, 10/671, 10/672, 10/673, 10/674, 10/675, 10/676, 10/677, 10/678, 10/679, 10/680, 10/681, 10/682, 10/683, 10/684, 10/685, 10/686, 10/687, 10/688, 10/689, 10/690, 10/691, 10/692, 10/693, 10/694, 10/695, 10/696, 10/697, 10/698, 10/699, 10/700, 10/701, 10/702, 10/703, 10/704, 10/705, 10/706, 10/707, 10/708, 10/709, 10/710, 10/711, 10/712, 10/713, 10/714, 10/715, 10/716, 10/717, 10/718, 10/719, 10/720, 10/721, 10/722, 10/723, 10/724, 10/725, 10/726, 10/727, 10/728, 10/729, 10/730, 10/731, 10/732, 10/733, 10/734, 10/735, 10/736, 10/737, 10/738, 10/739, 10/740, 10/741, 10/742, 10/743, 10/744, 10/745, 10/746, 10/747, 10/748, 10/749, 10/750, 10/751, 10/752, 10/753, 10/754, 10/755, 10/756, 10/757, 10/758, 10/759, 10/760, 10/761, 10/762, 10/763, 10/764, 10/765, 10/766, 10/767, 10/768, 10/769, 10/770, 10/771, 10/772, 10/773, 10/774, 10/775, 10/776, 10/777, 10/778, 10/779, 10/780, 10/781, 10/782, 10/783, 10/784, 10/785, 10/786, 10/787, 10/788, 10/789, 10/790, 10/791, 10/792, 10/793, 10/794, 10/795, 10/796, 10/797, 10/798, 10/799, 10/800, 10/801, 10/802, 10/803, 10/804, 10/805, 10/806, 10/807, 10/808, 10/809, 10/810, 10/811, 10/812, 10/813, 10/814, 10/815, 10/816, 10/817, 10/818, 10/819, 10/820, 10/821, 10/822, 10/823, 10/824, 10/825, 10/826, 10/827, 10/828, 10/829, 10/830, 10/831, 10/832, 10/833, 10/834, 10/835, 10/836, 10/837, 10/838, 10/839, 10/840, 10/841, 10/842, 10/843, 10/844, 10/845, 10/846, 10/847, 10/848, 10/849, 10/850, 10/851, 10/852, 10/853, 10/854, 10/855, 10/856, 10/857, 10/858, 10/859, 10/860, 10/861, 10/862, 10/863, 10/864, 10/865, 10/866, 10/867, 10/868, 10/869, 10/870, 10/871, 10/872, 10/873, 10/874, 10/875, 10/876, 10/877, 10/878, 10/879, 10/880, 10/881, 10/882, 10/883, 10/884, 10/885, 10/886, 10/887, 10/888, 10/889, 10/890, 10/891, 10/892, 10/893, 10/894, 10/895, 10/896, 10/897, 10/898, 10/899, 10/900, 10/901, 10/902, 10/903, 10/904, 10/905, 10/906, 10/907, 10/908, 10/909, 10/910, 10/911, 10/912, 10/913, 10/914, 10/915, 10/916, 10/917, 10/918, 10/919, 10/920, 10/921, 10/922, 10/923, 10/924, 10/925, 10/926, 10/927, 10/928, 10/929, 10/930, 10/931, 10/932, 10/933, 10/934, 10/935, 10/936, 10/937, 10/938, 10/939, 10/940, 10/941, 10/942, 10/943, 10/944, 10/945, 10/946, 10/947, 10/948, 10/949, 10/950, 10/951, 10/952, 10/953, 10/954, 10/955, 10/956, 10/957, 10/958, 10/959, 10/960, 10/961, 10/962, 10/963, 10/964, 10/965, 10/966, 10/967, 10/968, 10/969, 10/970, 10/971, 10/972, 10/973, 10/974, 10/975, 10/976, 10/977, 10/978, 10/979, 10/980, 10/981, 10/982, 10/983, 10/984, 10/985, 10/986, 10/987, 10/988, 10/989, 10/990, 10/991, 10/992, 10/993, 10/994, 10/995, 10/996, 10/997, 10/998, 10/999, 10/1000, 10/1001, 10/1002, 10/1003, 10/1004, 10/1005, 10/1006, 10/1007, 10/1008, 10/1009, 10/1010, 10/1011, 10/1012, 10/1013, 10/1014, 10/1015, 10/1016, 10/1017, 10/1018, 10/1019, 10/1020, 10/1021, 10/1022, 10/1023, 10/1024, 10/1025, 10/1026, 10/1027, 10/1028, 10/1029, 10/1030, 10/1031, 10/1032, 10/1033, 10/1034, 10/1035, 10/1036, 10/1037, 10/1038, 10/1039, 10/1040, 10/1041, 10/1042, 10/1043, 10/1044, 10/1045, 10/1046, 10/1047, 10/1048, 10/1049, 10/1050, 10/1051, 10/1052, 10/1053, 10/1054, 10/1055, 10/1056, 10/1057, 10/1058, 10/1059, 10/1060, 10/1061, 10/1062, 10/1063, 10/1064, 10/1065, 10/1066, 10/1067, 10/1068, 10/1069, 10/1070, 10/1071, 10/1072, 10/1073, 10/1074, 10/1075, 10/1076, 10/1077, 10/1078, 10/1079, 10/1080, 10/1081, 10/1082, 10/1083, 10/1084, 10/1085, 10/1086, 10/1087, 10/1088, 10/1089, 10/1090, 10/1091, 10/1092, 10/1093, 10/1094, 10/1095, 10/1096, 10/1097, 10/1098, 10/1099, 10/1100, 10/1101, 10/1102, 10/1103, 10/1104, 10/1105, 10/1106, 10/1107, 10/1108, 10/1109, 10/1110, 10/1111, 10/1112, 10/1113, 10/1114, 10/1115, 10/1116, 10/1117, 10/1118, 10/1119, 10/1120, 10/1121, 10/1122, 10/1123, 10/1124, 10/1125, 10/1126, 10/1127, 10/1128, 10/1129, 10/1130, 10/1131, 10/1132, 10/1133, 10/1134, 10/1135, 10/1136, 10/1137, 10/1138, 10/1139, 10/1140, 10/1141, 10/1142, 10/1143, 10/1144, 10/1145, 10/1146, 10/1147, 10/1148, 10/1149, 10/1150, 10/1151, 10/1152, 10/1153, 10/1154, 10/1155, 10/1156, 10/1157, 10/1158, 10/1159, 10/1160, 10/1161, 10/1162, 10/1163, 10/1164, 10/1165, 10/1166, 10/1167, 10/1168, 10/1169, 10/1170, 10/1171, 10/1172, 10/1173, 10/1174, 10/1175, 10/1176, 10/1177, 10/1178, 10/1179, 10/1180, 10/1181, 10/1182, 10/1183, 10/1184, 10/1185, 10/1186, 10/1187, 10/1188, 10/1189, 10/1190, 10/1191, 10/1192, 10/1193, 10/1194, 10/1195, 10/1196, 10/1197, 10/1198, 10/1199, 10/1200, 10/1201, 10/1202, 10/1203, 10/1204, 10/1205, 10/1206, 10/1207, 10/1208, 10/1209, 10/1210, 10/1211, 10/1212, 10/1213, 10/1214, 10/1215, 10/1216, 10/1217, 10/1218, 10/1219, 10/1220, 10/1221, 10/1222, 10/1223, 10/1224, 10/1225, 10/1226, 10/1227, 10/1228, 10/1229, 10/1230, 10/1231, 10/1232, 10/1233, 10/1234, 10/1235, 10/1236, 10/1237, 10/1238, 10/1239, 10/1240, 10/1241, 10/1242, 10/1243, 10/1244, 10/1245, 10/1246, 10/1247, 10/1248, 10/1249, 10/1250, 10/1251, 10/1252, 10/1253, 10/1254, 10/1255, 10/1256, 10/1257, 10/1258, 10/1259, 10/1260, 10/1261, 10/1262, 10/1263, 10/1264, 10/1265, 10/1266, 10/1267, 10/1268, 10/1269, 10/1270, 10/1271, 10/1272, 10/1273, 10/1274, 10/1275, 10/1276, 10/1277, 10/1278, 10/1279, 10/1280, 10/1

THIS PLAN IS A PRELIMINARY DESIGN AND IS NOT TO BE USED FOR CONSTRUCTION. IT IS THE PROPERTY OF THE ARCHITECT AND IS NOT TO BE REPRODUCED OR COPIED IN ANY MANNER WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF THE ARCHITECT. THE ARCHITECT ASSUMES NO LIABILITY FOR THE ACCURACY OF THE INFORMATION PROVIDED HEREON. THE ARCHITECT'S RESPONSIBILITY IS LIMITED TO THE DESIGN OF THE BUILDING AND ITS STRUCTURAL ELEMENTS. THE ARCHITECT DOES NOT WARRANT THE ACCURACY OF THE INFORMATION PROVIDED HEREON. THE ARCHITECT'S RESPONSIBILITY IS LIMITED TO THE DESIGN OF THE BUILDING AND ITS STRUCTURAL ELEMENTS. THE ARCHITECT DOES NOT WARRANT THE ACCURACY OF THE INFORMATION PROVIDED HEREON.

LOCATION PLAN



BLK. NO.	BLK. AREA	BLK. AREA	BLK. AREA
1	1000	1000	1000
2	1000	1000	1000
3	1000	1000	1000
4	1000	1000	1000
5	1000	1000	1000
6	1000	1000	1000
7	1000	1000	1000
8	1000	1000	1000
9	1000	1000	1000
10	1000	1000	1000
11	1000	1000	1000
12	1000	1000	1000
13	1000	1000	1000
14	1000	1000	1000
15	1000	1000	1000
16	1000	1000	1000
17	1000	1000	1000
18	1000	1000	1000
19	1000	1000	1000
20	1000	1000	1000
21	1000	1000	1000
22	1000	1000	1000
23	1000	1000	1000
24	1000	1000	1000
25	1000	1000	1000
26	1000	1000	1000
27	1000	1000	1000
28	1000	1000	1000
29	1000	1000	1000
30	1000	1000	1000
31	1000	1000	1000
32	1000	1000	1000
33	1000	1000	1000
34	1000	1000	1000
35	1000	1000	1000
36	1000	1000	1000
37	1000	1000	1000
38	1000	1000	1000
39	1000	1000	1000
40	1000	1000	1000
41	1000	1000	1000
42	1000	1000	1000
43	1000	1000	1000
44	1000	1000	1000
45	1000	1000	1000
46	1000	1000	1000
47	1000	1000	1000
48	1000	1000	1000
49	1000	1000	1000
50	1000	1000	1000
51	1000	1000	1000
52	1000	1000	1000
53	1000	1000	1000
54	1000	1000	1000
55	1000	1000	1000
56	1000	1000	1000
57	1000	1000	1000
58	1000	1000	1000
59	1000	1000	1000
60	1000	1000	1000
61	1000	1000	1000
62	1000	1000	1000
63	1000	1000	1000
64	1000	1000	1000
65	1000	1000	1000
66	1000	1000	1000
67	1000	1000	1000
68	1000	1000	1000
69	1000	1000	1000
70	1000	1000	1000
71	1000	1000	1000
72	1000	1000	1000
73	1000	1000	1000
74	1000	1000	1000
75	1000	1000	1000
76	1000	1000	1000
77	1000	1000	1000
78	1000	1000	1000
79	1000	1000	1000
80	1000	1000	1000
81	1000	1000	1000
82	1000	1000	1000
83	1000	1000	1000
84	1000	1000	1000
85	1000	1000	1000
86	1000	1000	1000
87	1000	1000	1000
88	1000	1000	1000
89	1000	1000	1000
90	1000	1000	1000
91	1000	1000	1000
92	1000	1000	1000
93	1000	1000	1000
94	1000	1000	1000
95	1000	1000	1000
96	1000	1000	1000
97	1000	1000	1000
98	1000	1000	1000
99	1000	1000	1000
100	1000	1000	1000

KHASRA PLAN

NO.	DESCRIPTION	AREA	REMARKS
1	...	...	...
2	...	...	...
3	...	...	...
4	...	...	...
5	...	...	...
6	...	...	...
7	...	...	...
8	...	...	...
9	...	...	...
10	...	...	...
11	...	...	...
12	...	...	...
13	...	...	...
14	...	...	...
15	...	...	...
16	...	...	...
17	...	...	...
18	...	...	...
19	...	...	...
20	...	...	...
21	...	...	...
22	...	...	...
23	...	...	...
24	...	...	...
25	...	...	...
26	...	...	...
27	...	...	...
28	...	...	...
29	...	...	...
30	...	...	...
31	...	...	...
32	...	...	...
33	...	...	...
34	...	...	...
35	...	...	...
36	...	...	...
37	...	...	...
38	...	...	...
39	...	...	...
40	...	...	...
41	...	...	...
42	...	...	...
43	...	...	...
44	...	...	...
45	...	...	...
46	...	...	...
47	...	...	...
48	...	...	...
49	...	...	...
50	...	...	...
51	...	...	...
52	...	...	...
53	...	...	...
54	...	...	...
55	...	...	...
56	...	...	...
57	...	...	...
58	...	...	...
59	...	...	...
60	...	...	...
61	...	...	...
62	...	...	...
63	...	...	...
64	...	...	...
65	...	...	...
66	...	...	...
67	...	...	...
68	...	...	...
69	...	...	...
70	...	...	...
71	...	...	...
72	...	...	...
73	...	...	...
74	...	...	...
75	...	...	...
76	...	...	...
77	...	...	...
78	...	...	...
79	...	...	...
80	...	...	...
81	...	...	...
82	...	...	...
83	...	...	...
84	...	...	...
85	...	...	...
86	...	...	...
87	...	...	...
88	...	...	...
89	...	...	...
90	...	...	...
91	...	...	...
92	...	...	...
93	...	...	...
94	...	...	...
95	...	...	...
96	...	...	...
97	...	...	...
98	...	...	...
99	...	...	...
100	...	...	...

GROUND COVERAGE DETAILS

SL. NO.	AREA	AREA	AREA
1	...	...	...
2	...	...	...
3	...	...	...
4	...	...	...
5	...	...	...
6	...	...	...
7	...	...	...
8	...	...	...
9	...	...	...
10	...	...	...
11	...	...	...
12	...	...	...
13	...	...	...
14	...	...	...
15	...	...	...
16	...	...	...
17	...	...	...
18	...	...	...
19	...	...	...
20	...	...	...
21	...	...	...
22	...	...	...
23	...	...	...
24	...	...	...
25	...	...	...
26	...	...	...
27	...	...	...
28	...	...	...
29	...	...	...
30	...	...	...
31	...	...	...
32	...	...	...
33	...	...	...
34	...	...	...
35	...	...	...
36	...	...	...
37	...	...	...
38	...	...	...
39	...	...	...
40	...	...	...
41	...	...	...
42	...	...	...
43	...	...	...
44	...	...	...
45	...	...	...
46	...	...	...
47	...	...	...
48	...	...	...
49	...	...	...
50	...	...	...
51	...	...	...
52	...	...	...
53	...	...	...
54	...	...	...
55	...	...	...
56	...	...	...
57	...	...	...
58	...	...	...
59	...	...	...
60	...	...	...
61	...	...	...
62	...	...	...
63	...	...	...
64	...	...	...
65	...	...	...
66	...	...	...
67	...	...	...
68	...	...	...
69	...	...	...
70	...	...	...
71	...	...	...
72	...	...	...
73	...	...	...
74	...	...	...
75	...	...	...
76	...	...	...
77	...	...	...
78	...	...	...
79	...	...	...
80	...	...	...
81	...	...	...
82	...	...	...
83	...	...	...
84	...	...	...
85	...	...	...
86	...	...	...
87	...	...	...
88	...	...	...
89	...	...	...
90	...	...	...
91	...	...	...
92	...	...	...
93	...	...	...
94	...	...	...
95	...	...	...
96	...	...	...
97	...	...	...
98	...	...	...
99	...	...	...
100	...	...	...

SITE VERIFICATION PLAN

THIS PLAN IS A PRELIMINARY DESIGN AND IS NOT TO BE USED FOR CONSTRUCTION. IT IS THE PROPERTY OF THE ARCHITECT AND IS NOT TO BE REPRODUCED OR COPIED IN ANY MANNER WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF THE ARCHITECT. THE ARCHITECT ASSUMES NO LIABILITY FOR THE ACCURACY OF THE INFORMATION PROVIDED HEREON. THE ARCHITECT'S RESPONSIBILITY IS LIMITED TO THE DESIGN OF THE BUILDING AND ITS STRUCTURAL ELEMENTS. THE ARCHITECT DOES NOT WARRANT THE ACCURACY OF THE INFORMATION PROVIDED HEREON.

OWNER

ARCHITECT

SCALE

DATE

MANOJ K. SHARMA

ASSOCIATES

कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला भोपाल-सीहोर(मध्यप्रदेश)

कचनार पर्यावरण परिसर, ई-5 अरेरा कालोनी, भोपाल (462016)

कमांक 2549/एल.पी.012/16/नग्रानि/जिका/2010

भोपाल दिनांक 10/12/2010

प्रति,

श्री रमेश भावनानी सुपुत्र श्री लक्ष्मण दास भावनानी एवं अन्य,
द्वारा मुख्तारआम मेसर्स चिनार रियल्टी प्रायवेट लिमिटेड,
पता-231 जोन-2, एम. पी. नगर
भोपाल

विषय :- संस्था की ग्राम रतनपुर सड़क तहसील हजूर, जिला भोपाल के खसरा कमांक 1051, 1052, 1053/1, 1053/2, 1059/1, 1062, 1063, 1064, 1065, 1070, 1071, 1073, 1074, 1075, 1096, 1059/2, 1055/3, 1060, 1054/2, 1061, 1055/2 रकबा 7.262 हेक्टर एवं ग्राम नरेला हनुमंत तहसील हजूर, जिला भोपाल के खसरा कमांक 209,210,211,212,213, 214, 215, 222, 223,217,218,219,220,221,216, रकबा 4.10 हेक्टर कुल रकबा 11.362 हेक्टर में से 95456.68 वर्गमीटर पर आवासीय योजना के निर्माण हेतु विकास अनुमति। भूमि पर आवासीय योजना के निर्माण के विकास हेतु प्रदत्त विकास अनुज्ञा का स्थल पर चिह्नंकन बाबत।

सन्दर्भ :- आपका पत्र भोपाल दिनांक-4.6.2010 एवं 29.10.2010

उपरोक्त संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचित है कि ग्राम रतनपुर सड़क तहसील हजूर, जिला भोपाल के खसरा कमांक 1051, 1052, 1053/1, 1053/2, 1059/1, 1062, 1063, 1064, 1065, 1070, 1071, 1073, 1074, 1075, 1096, 1059/2, 1055/3, 1060, 1054/2, 1061, 1055/2 रकबा 7.262 हेक्टर एवं ग्राम नरेला हनुमंत तहसील हजूर, जिला भोपाल के खसरा कमांक 209,210,211,212,213, 214, 215, 222, 223,217,218,219,220,221,216, रकबा 4.10 हेक्टर कुल रकबा 11.362 हेक्टर में से 95456.68 वर्गमीटर भूमि पर इस कार्यालय के पत्र कमांक 422 से 423 दिनांक 14.5.2010 द्वारा आवासीय योजना के निर्माण के विकास हेतु प्रदत्त विकास अनुज्ञा का स्थल पर सत्यापन पटवारी द्वारा आपकी उपस्थिति में बतलाई गई आवेदकों की भूमि सीमा के अनुसार निम्न शर्तों के साथ किया जाता है।

1. इस कार्यालय के पत्र कमांक 422 से 423 दिनांक 14.5.2010 में उल्लेखित आवासीय योजना के निर्माण के विकास हेतु प्रदत्त अनुज्ञा समस्त शर्तों के साथ यथावत रहेगा।
2. खसरा भूमि की बाह्य सीमा व अन्य किसी प्रकार का विवाद होने पर आवासीय योजना के निर्माण के विकास हेतु प्रदत्त अनुज्ञा इस सत्यापन सहित निरस्त माना जावेगा।
3. अपूर्ण भूखण्ड समायोजन के बाद पूर्ण होने पर ही मान्य किये जावेंगे। जिसकी अनुमति इस कार्यालय से लेना अनिवार्य होगा।
4. स्थल सत्यापन के उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत जिला भोपाल से निर्माण कार्य के लिए नियमानुसार अनुमतियाँ प्राप्त की जाना आवश्यक होगा।
5. शासन आदेश कमांक 186/32/98 दिनांक 23.1.1998 के अनुपालन में 15 वृक्ष प्रति हेक्टेयर के मान अनुसार भूखण्ड के वृक्षारोपण के अतिरिक्त वृक्षारोपण किया जाना अनिवार्य होगा।
6. प्रस्तावित स्थल की सीमा तक दर्शाये गये मार्गों की निरंतरता सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा। अतः मार्गों को गेट अथवा बाउण्ड्रीवाल से अवरुद्ध किया जाना मान्य नहीं होगा।
7. प्रस्तावित अभिन्यास में मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत (कालोनाईज़र का रजिस्ट्रीकरणनिर्बन्धन तथा शर्तों) नियम 1999 के नियम 10(2) के अनुसार 22.45 वर्गमीटर के कुल 84 आवासीय भवन कमजोर आय वर्ग हेतु निर्मित कर नियमानुसार उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। इसका अनुपालन सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुनिश्चित कराया जावेगा।
8. इस मानचित्र के आधार पर ही सदस्यों को भूखण्ड/भवन का पंजीयन किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
9. संस्था को मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम, 1984 के नियम 31 के प्रावधानों का पालन करना होगा तथा अप्रॉपेक्स 'ई' 'एफ' तथा 'जी' संबंधी आवश्यक कार्यवाही समय सीमा में करना अनिवार्य होगा।
10. इस मानचित्र को भूमि स्वामित्व का दस्तावेज न समझा जावे।
11. स्थल पर विद्यमान वृक्षों को यथावत रखना अनिवार्य होगा।
12. एच.टी. लाईन, इलेक्ट्रिक लाईन के नीचे स्थित भूखण्ड मान्य नहीं होंगे इन पर भवन अनुज्ञा न दी जाये।

उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर इस भूमि पर प्रदत्त विकास अनुज्ञा मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 1984 के नियम 25 के तहत रिवोक कर ली जावेगी।

संयुक्त संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश, जिला भोपाल

भोपाल, दिनांक

/2010

पू.कमांक /एल.पी.12/16/नग्रानि/जिका/2004-2010

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, जिला भोपाल को कृपया सूचनार्थ।
2. अनुविभागीय अधिकारी, जिला भोपाल को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. सरपंच, ग्राम पंचायत रतनपुर सड़क व नरेला हनुमंत तहसील हजूर, जिला भोपाल का अधिसूचना हेतु।
4. सर्वेक्षक,

संयुक्त संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश, जिला भोपाल